



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour and Employment, Govt. of India)



क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल
E.S.I.C. Model Hospital
फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार - 801505
Phulwarisharif, Patna, Bihar - 801505
Phone: 0612-2555780, Email: mh-patna@esic.nic.in
Website : www.esichospitals.gov.in

पत्रांक- 422-H/16/15/1/2004/PHL(H)

dated : 11 -- 07 -- 25

ज्ञापन/Memorandum

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 (2) के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। पूर्व में गठित समिति को भंग करते हुए सक्षम पदाधिकारी ने एक नई समिति गठित की है, जिसका विवरण निम्न है:-

An Internal Complaints Committee has been constituted as per Section 4(2) of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Dissolving the previously constituted committee, the Competent Authority has constituted a new committee, the details of which are as follows:-

SL No	Committee Members Name	Designation
1	डॉ राखी कुमारी साव, सीएमओ (एन.एफ.एस.जी.)	अध्यक्षा
2	श्रीमती सुषमा कुमारी आजाद, सहायक नर्सिंग अधीक्षक	सदस्य
3	सुश्री आरती कुमारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	सदस्य
4	श्री उमेश प्रसाद, उप निदेशक	सदस्य
5	डॉ श्रीमती सुमन लाल, संस्थापक अध्यक्ष प्रयास भारती ट्रस्ट	सदस्य

उपरोक्त समिति का कार्यकाल की तिथि से तीन वर्ष या सक्षम पदाधिकारी के आदेश से पुनर्गठन/संशोधन की अवधि तक होगी।

The tenure of the said committee will be for three years from the date of formation or till the period of reconstitution/amendment by order of the competent officer.

उपरोक्त समिति का क्षेत्राधिकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना तक होगा।

The jurisdiction of the above committee will be up to the Employees State Insurance Corporation, Model Hospital Phulwarisharif, Patna.

उपरोक्त समिति कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

The above Committee will function as per the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Digitally signed by
Medical Superintendent
Shailendra Kumar Priyadarshi
Date: 11-07-2025 16:33:38

सेवा में

उपरोक्त समिति सदस्य

प्रतिलिपि:

1. चिकित्सा अधीक्षक के निजी सचिव, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ।
2. सभी शाखाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना को इस निर्देश के साथ की

वो उनके कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी को अवगत कराएँ।

3. आईटी मैनेजर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना को इस निर्देश के साथ की वे इस अस्पताल के वेबसाइट में अपलोड करें।

4. नोटिस बोर्ड।

Sl. No.	Member's Name	Designation
1.	डॉ. ए.पी. कुमार (मुख्य चिकित्सक)	मुख्य चिकित्सक
2.	डॉ. ए.पी. कुमार (मुख्य चिकित्सक)	मुख्य चिकित्सक
3.	डॉ. ए.पी. कुमार (मुख्य चिकित्सक)	मुख्य चिकित्सक
4.	डॉ. ए.पी. कुमार (मुख्य चिकित्सक)	मुख्य चिकित्सक
5.	डॉ. ए.पी. कुमार (मुख्य चिकित्सक)	मुख्य चिकित्सक